

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्लस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
--------	-----------------------------------	---

21-5-24

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 14-6-24 को पेश हो।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर माण्डल

145/24

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षी के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाप किये गये। विपक्षीगण उपस्थित, विपक्षीगण के क्विबकी मर्तवा के क्विबकी मर्तवा के बाद भी उपस्थित नहीं। इसके विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जा रहा है। वकील प्रार्थी का शाप स्वीकार किया जाकर निष्पक्ष प्रथक से लिखा जाकर शाप किया गया। पत्रावली के पल शुमार होकर नम्बर से सम्मती।

*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 97/24 प्रा.पग

1- श्री देवा कलक पुग जीराग भील गिवासी- वावलास तहसील- माण्डल

प्राथ

बनाम

1- धार्या 0/0 चुन्नीलाल बाहाण गिवासी- वावलास तहसील- माण्डल  
2- राजवान राज्य जरिए तहसीलदार माण्डल तहसील- माण्डल

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 14-6-24


::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर नियंत्रण किया के ग्राम वावलास पटवार हल्का वावलास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं 0 2987/1 कुल कित्ता 0.1 रकबा 3.2248 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21-5-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं फब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम वावलास पटवार हल्का वावलास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं 2987/1 कुल कित्ता 0.1 रकबा 3.2248 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लेसवा को 1400 रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके पर फब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल जिला भीलवाड़ा